

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड-1, में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 26/2015-2020

नई दिल्ली, दिनांक: 26 अगस्त, 2016

विषय:- भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात संबंधी स्कीम (एमईआईएस) – परिशिष्ट 3ख की तालिका 2 [प्रतिफल दर के साथ उत्पादों की आईटीसी (एचएस) कोड वार सूची सहित] में परिवर्धन।

विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेश व्यापार महानिदेशक एतद्वारा 3ख की तालिका 2 [एमईआईएस के तहत प्रतिफल दरों के साथ आईटीसी (एचएस) कोड वार सूची और वस्तुओं के परिशिष्ट विवरण सहित] तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित परिवर्धन करते हैं:

क्रम सं.	एचएस कोड	विवरण	एमईआईएस दर - %
5055	07031010	प्याज, ताजा और कोल्ड स्टोर में रखे हुए	5

यह दर दिनांक 31.12.2016 तक किए जाने वाले निर्यात के लिए लागू होगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: प्याज के लिए भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात संबंधी स्कीम की दर को अधिसूचित किया जाता है। यह दर दिनांक 31.12.2016 तक किए जाने वाले निर्यात के लिए लागू होगी।

*अनूप वधावन*

(अनूप वधावन)  
महानिदेशक, विदेश व्यापार  
ई मेल: dgft@nic.in

(फाइल सं. 01/61/180/179/एम-16/पीसी-3 से जारी)